>

Title: Need to accord approval to the proposal sent by the Government of Gujarat with regard to the Gujarat Control of Organised Crime (GUJCOC) Act, in the state.

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मुझे शून्यकाल के तहत एक गंभीर विषय पर बोलने की अनुमति दी है। मैं इस विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहूंगा कि हमारा देश आजाद होने के बाद भारत की भंडारण की लोक शासन व्यवस्था स्वीकृत हुई ताकि प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी विशेष प्रादेशिक समस्या का समाधान ठीक से हो सके और यह प्रथम बार भंडारण व्यवस्था डा. अम्बेडकर जी के प्रयासों से पूर्ण हुई। भारत सरकार ने इस लोक शासन व्यवस्था को पहली बार भेदभावपूर्ण तरीके से अपनाया। भारत सरकार को गुजरात की छः करोड़ जनता की चिंता करने वाली, गुजरात विकास के लिए सतत चिंतित गुजरात सरकार को हैरान और परेशान करने की आदत पड़ गई है। मैं यूपीए सरकार के अनेक किस्से आपके सामने रखता हूं।

हाल ही में 13 जुलाई को मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें अनेक निर्दोष लोगों की जान गई। गुजरात मुंबई से सटा राज्य है। गुजरात विकासशील राज्य है और इस राज्य की पुलिस व्यवस्था आतंकी खतरे को लेकर काफी अलर्ट रहती है। केंद्र सरकार बार-बार कह रही है कि गुजरात में आतंकी खतरे हैं। केंद्र सरकार के इस कन्सर्न से निपटने के लिए गुजरात सरकार ने तीन बार गुजरात के लिए कायदा बनाकर विधान सभा से पास कराकर केंद्र सरकार के पास भेजा लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। महाराष्ट्र सरकार के पास मकोका कायदा है क्योंकि वहां कांग्रेस सरकार है। मैं आपसे इन भेदभावों को दूर करने के लिए विनम्रपूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसे भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं देखना चाहिए। यदि कोई राज्य विकास कर रहा है तो इसका मतलब है कि भारत विकास कर रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार गुजरात में भी मकोका कायदा की मंजूरी दे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं अपने आपको इस मामले के साथ संबद्ध करता हूं।